# न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : भँवरलाल मेहरा, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 02/2019

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| जब्बरसिंह पुत्र रेवन्तसिंह<br>राजपुरोहित निवासी– उदयनगर,<br>बावडी कला, तहसील व जिला<br>फलौदी | | जिला मजिस्ट्रेट,<br>जोधपुर |

अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर कार्यालय द्वारा कमांक एफ.–2 (1) न्यायिक/शस्त्र/2019/1311 दिनांक 15.07.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट के नये शस्त्र अनुज्ञा पत्र के आवेदन को अस्वीकार किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री हरिशंकर टाक, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

**दिनांकः 01 अप्रेल,2024**

अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर कार्यालय द्वारा कमांक एफ–2(1) न्यायिक/शस्त्र/2019/1311 दिनांक 15.07.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट के नये शस्त्र अनुज्ञा पत्र के आवेदन को अस्वीकार किया गया, के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये तलब किया गया।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो मे यह कथन किया कि अपीलांट के अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 10.7.19 को जिला कार्यालय के समक्ष एक नया शस्त्र अनुज्ञप्ति पत्र 12 बोर राईफल के लिये आवेदन कर निवेदन किया कि उन्हें अपने स्वयं, अपने परिवार की आत्मरक्षा, चल–अचल सम्पति, अपनी फसल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है अतः अनुज्ञप्ति जारी की जावे परन्तु जिला कलेक्टर महोदय ने दिनांक 15.7.2019 को अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र आवेदन को अस्वीकार कर दिया।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी का परिवार व्यापार व खेती का कार्य करते है जिनकी मासिक आय लाखों में होती है। उनके



सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निवास स्थान क्षेत्र में चितराई हुई ढाणिया है जहॉ नजदीक तक कोई आबादी नहीं है व न ही कोई ढाणिया है, उक्त ढाणियों में अक्सर लूटपाट व चोरी की घटनाएं होती रहती है, जिस कारण रात्रि में पहरा लगाना पडता है। चोर–लूटेरे अक्सर हथियार व बन्दूकों से लैस होकर आते है। ऐसे में उनसे जान–माल की सुरक्षा हेतु एक शस्त्र रखा जाना आवश्यक है। अपीलान्ट के बांसवाडा जिले के कुशलगढ शहर में मिठाई की दुकाने हैं, जिसके लाईसेन्स की कॉपी भी मैनें आवेदन के साथ पेश की है उक्त दुकान से रोजाना लाखो की बिक्री होती है वहॉ से रात्रि के समय अपने साथ नकदी लेकर अपने अस्थाई निवास पर जाता है। कई बार असामाजिक तत्वों ने मुझे जान से मारने की धमकियॉ भी दी गई व मुझे व मेरे परिवार को समाज से बाहर करने की धमकियॉ दी गई, परन्तु डर के मारे मैंने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज नहीं करवाई। इस कारण से अपनी और अपने परिवार की आत्मरक्षार्थ शस्त्र की आवश्यकता थी।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आयुध नियम, 2016 के नियम 10 (1) के अधीन हथियार का प्रशिक्षण पुरा कर लिया था जिसका प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न किया था। अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मेरे आवेदन पत्र को विधिविरूद्ध एवं कल्पना आधारित खारिज कर दिया जो कि सही नहीं है, उनके द्वारा आवेदन पत्र एवं प्रकट साक्ष्यों का अवलोकन व मूल्यांकन नहीं किया और जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर की जॉच के आधार पर अपीलान्ट के आवेदन को खारिज कर दिया। अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आलौच्य निर्णय की सूचना जो अपीलार्थी को दी गई है कि उनके द्वारा अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र हेतु जारी के लिये आत्मरक्षा के सम्बन्ध में जान की खतरे से सम्बन्धित कोई साक्ष्य व प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होने से नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन को सक्षम स्तर से खारिज किया जाता है जो कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर के द्वारा अपीलार्थी को लिखा गया है। उक्त पत्र को आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है क्योंकि शस्त्र अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट, जोधपुर नियुक्त है। अतः अपीलान्ट की अपील में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर स्वीकार की जावें एवं अपीलार्थी एवं उनके परिवार की जानमाल की सुरक्षा हेतु नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर को निर्देशित किया जावें। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ पेश किये यथा 2011 (2) आरएलजे पेज 552, 2011 (6) आरएलजे पेज 550, 2012 (1) आरएलजे पेज 135, 2012 (3) आरएलजे पेज 143, इलाहाबार हाईकोर्ट के निर्णय विनय कुमार बनाम राज्य वगैराह, केरला हाईकोर्ट निर्णय मोहम्मद शफी बनाम जिला कलेक्टर , राजस्थान हाईकोर्ट निर्णय गोवर्धनसिंह बनाम राज्य वगैराह इत्यादि।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा अपीलार्थी के नये शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के आवेदन को खारिज करने बाबत पारित निर्णय दिनांक 15.07.2019 को विधिसम्मत बताते हुए अपील को अस्वीकार किये जाने के निवेदन किया।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपीलान्ट के प्रकरण से सम्बन्धित जिला कलेक्टर जोधपुर कार्यालय की मूल पत्रावली ,पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला कार्यालय के समक्ष आवेदन किया। अपीलार्थी के उक्त आवेदन पर जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जोधपुर से जॉच रिपोर्ट तलब की गई जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जोधपुर द्वारा अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने में अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना बताया और न ही थाने में जान से मारने की धमकी बाबत शिकायत दर्ज होना बताया, इस आधार पर अपीलान्ट को नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा नहीं की। उक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार किया गया है। उससे यह न्यायालय सहमत है क्योंकि मात्र भविष्यवर्ती खतरे को भाप लिये जाने के आधार पर शस्त्र प्राप्त करने हेतु अनुज्ञा के लिये आवेदन कर दिया जाना तथा उक्त आवेदन को स्वीकार कर ही जाने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी बाध्य नहीं हो सकता है। आयुध नियमों के अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञापत्र जारी करने से पूर्व पूर्ण रूप से अनुज्ञा हेतु सभी स्तर पर संतुष्ट होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट ने इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसे कोई ठोस साक्ष्य अथवा कारणों का उल्लेख नहीं किया है जिससे अपील कथनों को बल मिलता हो। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर हमारी विनम्र राय में जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट के नये शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन को अस्वीकार करने का जो आदेश पारित किया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की जिससे उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश हो।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेशण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील अस्वीकार की जाती है तथा जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 15.07.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनाक 01 अप्रेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(भँवरलाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर